

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०से०

सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 01/07/2025

विषय : 1069 (एक हजार उनहत्तर) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण एवं पंचायत सरकार भवन के परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के निर्माण हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के चयन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय संकल्प संख्या-6549 दिनांक 23.05.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प के माध्यम से 1069 (एक हजार उनहत्तर) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण एवं पंचायत सरकार भवन के परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त संकल्प की कंडिका-(6)(i) में इन 1069 (एक हजार उनहत्तर) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण एवं पंचायत सरकार भवन के परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के निर्माण के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्णय लिए जाने का उल्लेख किया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इन 1069 (एक हजार उनहत्तर) पंचायत सरकार भवनों का निर्माण एवं पंचायत सरकार भवन के परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का निर्माण ग्राम पंचायत के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त हेतु सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रति पंचायत सरकार भवन प्रावकलित राशि ₹2,50,23,129.00 (दो करोड़ पचास लाख तेईस हजार एक सौ उनतीस रुपये) है, जिसमें से 10 प्रतिशत संवेदक लाभांश की राशि घटाकर ₹2,50,23,129.00-25,02,313.00= ₹2,25,20,816.00 (दो करोड़ पच्चीस लाख बीस हजार आठ सौ सोलह रुपये) तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का प्रति पंचायत सरकार भवन ₹3,05,00,000.00 (तीन करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र है, जिसमें से 10 प्रतिशत संवेदक लाभांश की राशि घटाकर ₹3,05,00,000.00-30,50,000.00= ₹2,74,50,000.00 (दो करोड़ चौहत्तर लाख पचास हजार रुपये) मात्र है। सामान्य क्षेत्रों की 918 भवनों पर कुल-918×2,25,20,816.00 = ₹20,67,41,09,088.00 (बीस अरब सड़सठ करोड़ इक्तालीस लाख नौ हजार अठासी रुपये) मात्र एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 151 भवनों पर कुल-151×2,74,50,000.00= ₹4,14,49,50,000.00 (चार अरब चौदह करोड़ उनचास लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि व्यय होगी। इस प्रकार कुल ₹

24,81,90,59,088.00 (चौबीस अरब इक्यासी करोड़ नब्बे लाख उनसठ हजार अठासी रुपये) मात्र की राशि व्यय होगी।

4. साथ ही 1069 ग्राम पंचायतों के पंचायत सरकार भवन के परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर (SWDMP) का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर (SWDMP) के निर्माण की प्राक्कलित राशि ₹2,55,000.00 (दो लाख पचपन हजार) है जिसमें से 10 प्रतिशत संवेदक लाभांश की राशि घटाकर ₹2,55,000.00-25,500.00= ₹2,29,500.00 (दो लाख उन्नतीस हजार पांच सौ रुपये) अर्थात् कुल 1069 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर (SWDMP) पर ₹2,29,500×1069 = ₹24,53,35,500.00 (चौबीस करोड़ तिरपन लाख पैतीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) की राशि व्यय होगी।

5. इस प्रकार 10 प्रतिशत संवेदक लाभांश की राशि की कटौती के उपरांत सामान्य क्षेत्रों की 918 भवनों ₹20,67,41,09,088.00 (बीस अरब सड़सठ करोड़ इक्तालीस लाख नौ हजार अठासी रुपये) मात्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 151 भवनों पर कुल ₹4,14,49,50,000.00 (चार अरब चौदह करोड़ उनचास लाख पचास हजार रुपये) मात्र एवं 1069 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर (SWDMP) पर ₹24,53,35,500.00 (चौबीस करोड़ तिरपन लाख पैतीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) की राशि व्यय होगी। 10 प्रतिशत संवेदक लाभांश की राशि की कटौती के उपरांत कुल ₹ 25,06,43,94,588.00 (पच्चीस अरब छः करोड़ तैंतालीस लाख चौरानवे हजार पाँच सौ अठासी रुपये) मात्र की राशि व्यय होगी।

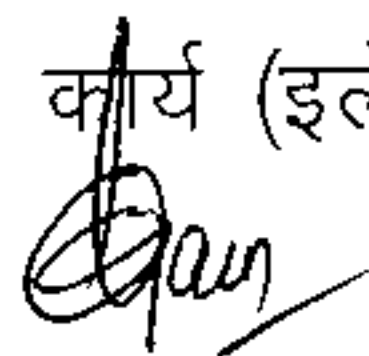
6. ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में निम्नवत् प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

- (i) प्राक्कलन का गठन एवं तकनीकी स्वीकृति : पंचायत सरकार भवनों के प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा तैयार किए गए मानक प्राक्कलन के आधार पर site specific estimate तकनीकी सहायक द्वारा बनाया जाएगा, जिस पर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- (ii) सामग्री क्रय व्यवस्था : निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री का क्रय विभागीय पत्रांक-8321 दिनांक 21.07.2023 में अंकित निदेश के आलोक में किया जायेगा।
- (iii) मजदूरी का भुगतान : निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले कुशल एवं अकुशल मजदूरों की सेवा मस्टर रोल के आधार पर ली जाएगी। संबंधित मजदूरों का मजदूरी भुगतान, ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरों के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जाएगा। मजदूरों को मजदूरी भुगतान हेतु ग्राम पंचायत निधि से किसी प्रकार की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।

- (iv) **मशीनरी की व्यवस्था** : निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी की व्यवस्था किराये पर, बिहार वित्तीय नियमावली में उल्लेखित नियमों के आलोक में की जायेगी। इसके लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा विभागीय तौर पर कराया जाएगा। तदनुसार संवेदक लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) **भूमि का चयन** : विभागीय पत्रांक-8354 दिनांक-30.08.2022 एवं मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक-281 दिनांक-08.01.2024, विभागीय पत्रांक-12514 दिनांक-26.12.2024 तथा पत्रांक-11510 दिनांक-06.12.2024 द्वारा पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चयन हेतु समेकित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। भूमि चयन हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे।
- (vii) **व्यय की व्यवस्था** : संबंधित ग्राम पंचायत को पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु चयनित स्थल पर Layout किये जाने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलित राशि पर 5 प्रतिशत राशि Mobilization Advance के रूप में देय होगी। पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु राशि की निकासी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा कोषागार से की जायेगी एवं ग्राम पंचायत से नियमानुसार प्राप्त अधियाचना के आलोक में दो कार्य दिवस के अन्दर अधियाचित राशि ग्राम पंचायत के खाते में CFMS के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। ग्राम पंचायत, पंचायत सरकार भवन के निधि के प्रबंधन हेतु अलग खाता रखेगी। Mobilization Advance के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए समुचित सामग्री, मजदूर एवं मशीनरी की व्यवस्था करते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराया जाएगा।
- (viii) **समयबद्ध कार्यान्वयन** : ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत सरकार भवन का कार्य आरंभ की तिथि से नौ महीने के अन्दर कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा।

7. पंचायत सरकार भवन का निर्माण ग्राम पंचायत तकनीकी सहायकों के तकनीकी पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित कराया जायेगा जिसका तकनीकी पर्यवेक्षण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन होने के कारण संवेदक लाभांश 10% देय नहीं होगा। कार्य आरंभ के समय तकनीकी स्वीकृति की राशि का 5% Mobilization Advance के रूप में दिया जायेगा, जिसका समायोजन अगले 5 Running विपत्रों से बराबर किस्तों में किया जायेगा। प्राक्कलन की विभिन्न चरणवार भौतिक प्रगति होने पर मापी की जायेगी। मापी का चरण निम्नवत् होगा:—

- मुख्य भवन के प्लिंथ लेवल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- मुख्य भवन के प्रथम तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- मुख्य भवन के द्वितीय तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- मुख्य भवन के फिनिशिंग कार्य (इलेक्ट्रिकल सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।



- (e) Living Block (फिनिशिंग/इलेक्ट्रिफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त
- (f) Block, PHE एवं अन्य सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त (फिनिशिंग/इलेक्ट्रिफिकेशन सहित)

मापी का सत्यापन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा। इसके आधार पर मापी पुस्त में अंकित चरणवार किये गये कार्य एवं अद्यतन भौतिक स्थिति की जियो टैग फोटोग्राफ ई-पंचायत पोर्टल पर अपलोड किये जाने के आधार पर ही अग्रेतर भुगतान होगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर निम्नरूपेण समिति गठित होगी:—

- (i) संबंधित जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष)।
- (ii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद्।
- (iii) अपर समाहर्ता (राजस्व)।
- (iv) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता।
- (v) जिला पंचायत राज पदाधिकारी—सदस्य सचिव।

उक्त समिति पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए निर्धारित समय—सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित अंतराल पर समीक्षा करेगी तथा कार्य में अवरोध दूर करने हेतु दिशा—निर्देश दे सकेगी।

9. राज्य स्तर पर समीक्षा:—

- (i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग
- (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग
- (iii) संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के अभियन्ता प्रमुख/मुख्य अभियन्ता।
- (iv) माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा नामित सदस्य, जो पंचायती राज विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे।

यह समिति राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा कर उसकी प्रगति हेतु दिशा—निर्देश दे सकेगी। साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर दिशा निर्देश विभागाध्यक्ष, पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

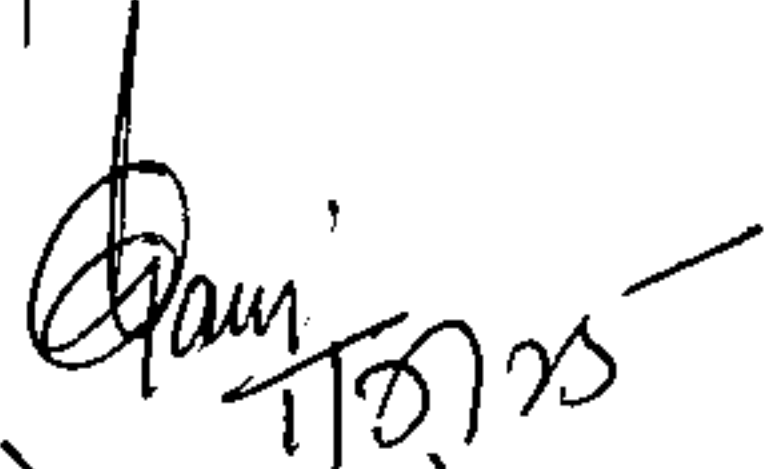
10. योजना का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर ऑनलाईन विहित प्रपत्र में संबंधित तकनीकी सहायक द्वारा अपलोड किया जायेगा।

11. पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गयी राशि का मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

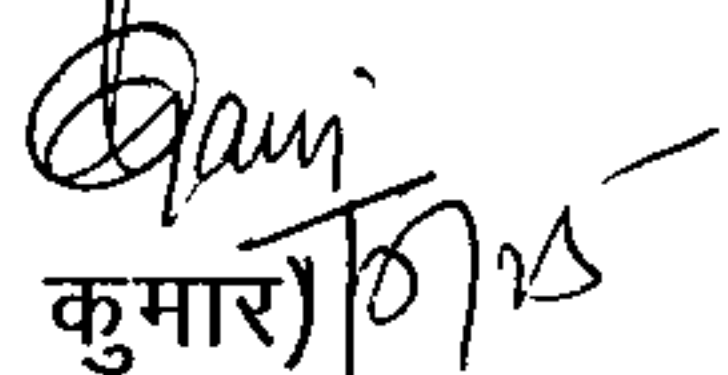


12. इस पत्र को प्रासंगिक विभागीय संकल्प संख्या-6549 दिनांक 23.05.2025 के साथ पढ़ा जाये।

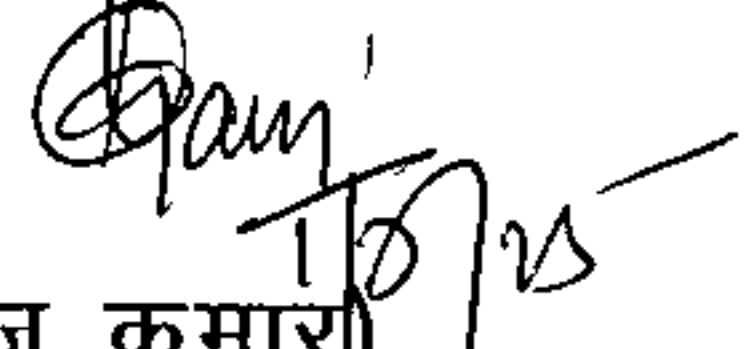
प्रस्ताव एवं प्रारूप पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(मनोज कुमार)
सचिव

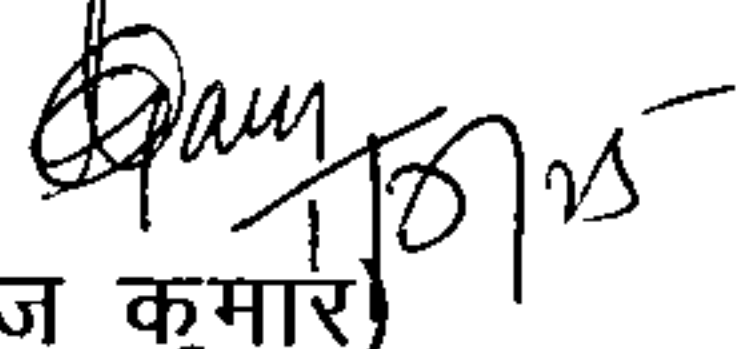
ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-9-29/2024/8247/पं०रा० पटना, दिनांक 01/07/2025
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

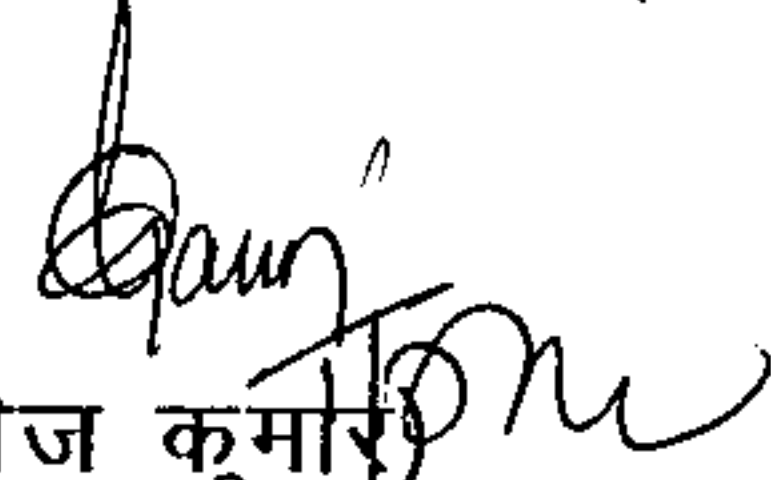
ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-9-29/2024/8247/पं०रा० पटना, दिनांक 01/07/2025
प्रतिलिपि:-सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-9-29/2024/8247/पं०रा० पटना, दिनांक 01/07/2025
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक:-2प/पं०स०भ०-9-29/2024/8247/पं०रा० पटना, दिनांक 01/07/2025
प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

—